न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान राकेश कुमार सहारण बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 48/2025
निर्णय दिनांक ..24/06/25.....

राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पूनरासर तहसील तारानगर जिला चूरू
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट,136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

उपस्थितिः—

1. श्री नरेन्द्र कुमार प्रजापत (वकील वादी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा बीड़सानी तारानगर पटवार हल्का गडाना तहसील तारानगर के खाता संख्या 23 खसरा सं. 287/48 तादादी 3.7935, हैक्ट, हिस्सा 1/6 के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की वर्तमान राजस्व जमाबंदी में विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय भूलवश वादी का नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार की जगह राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्णलाल दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ है जवकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड में सही नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा बीड़सानी तारानगर पटवार हल्का गडाना तहसील तारानगर के खाता संख्या 23 खसरा सं. 287/48 तादादी 3.7935, हैक्ट में वादी का नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने वादी का नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार व राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्णलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड में वादी का नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड में वादी का नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्ण कुमार पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राकेश कुमार सहारण पुत्र कृष्णलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही बीड़सानी तारानगर पटवार हल्का गडाना तहसील तारानगर के खाता संख्या 23 खसरा सं. 287/48 तादादी 3.7935, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के **पिता का नाम कृष्णलाल Delete** कर इसके स्थान पर **कृष्ण कुमार** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......24/06/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)